न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/22/2025	2025/145	16.06.2025	11.03.2026

1. श्रीमती पूनी देवी पत्नी श्री धनसीराम मीणा उर्फ घनश्याम जाति मीना, निवासी ग्राम बबेली तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार मीना निवासी ग्राम बबेली तहसील रैणी जिला अलवर राज0।
2. हर्षिता मीना पुत्री श्री महेन्द्र कुमार मीना, निवासी ग्राम बबेली, तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध तहसीलदार रैणी जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 बाबत् विरासत स्व. घनश्याम उर्फ धनसीराम मीणा एवं इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 बाबत् विरासत महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम स्वीकृत किया गया।

उपस्थितः—
01.श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02.श्री चन्दन जैन —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील, अपीलांट श्रीमती पूनी देवी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 एवं इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 647/913, 718, 720 वाके ग्राम रैणी एवं आराजी खसरा नंबर 653 व 645 वाके ग्राम बबेली तहसील रैणी जिला अलवर राज० में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलांट के पति स्व० श्री धनसीराम मीणा उर्फ घनश्याम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। स्व० धनसी राम मीणा उर्फ घनश्याम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके परिवार का शजरा निम्न प्रकार है :—

स्व० धनसीराम उर्फ घनश्याम
|
|.....|
पूनी देवी (पत्नी) महेन्द्र महेन्द्र कुमार—मृतक
|
पूजा देवी (पत्नी) हर्षिता (पुत्री)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मिन अपीलांट अनपढ ग्रामीण महिला है। अपीलांट के पति श्री धनसीराम मीणा उर्फ घनश्याम के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20..09. 2007 अपीलांट के पुत्र महेन्द्र कुमार मीना ने अपीलांट की सहमति के बगैर तन्हा अपने नाम दर्ज करवाकर तहसीलदार रैणी से मंजूर करवा लिया, जिसकी कोई जानकारी मिन अपीलांटा को नहीं थी। जबकि कानूनन मृतक के सभी वारिस अर्थात मृतक की पत्नि एवं पुत्र दोनों के ही नाम दर्ज मंजूर करना चाहिये था किन्तु बिना कोई जांच किये व बिना अपीलांट को तलब किए बाला–बाला उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध एवं गलत प्रकार से दर्ज मंजूर कर लिया गया। जबकि अपीलांट इसी विश्वास में थी कि उसके पति के मरने के बाद दोनों ही वारिसों अपीलांट व उसके पुत्र महेन्द्र कुमार के नाम दर्ज मंजूर हुआ होगा तथा किसी तरह का शकशुभा का कोई कारण भी नहीं था क्योंकि अपीलांट व उसके पुत्र महेन्द्र कुमार के बीच कभी कोई विवाद भी नहीं था। वैसे भी महेन्द्र कुमार अपीलांट का इकलौता पुत्र था।

अपीलांट के पुत्र महेन्द्र कुमार मीना का स्वर्गवास दिनांक 28.05.2021 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है। महेन्द्र कुमार मीना के स्वर्गवास के बाद उसकी विरासत का इंतकाल संख्या उसके विधिक वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 क्रमशः उसकी पत्नि व पुत्री के नाम 1209 दिनांक 18.03.2024 दर्ज किया जाकर तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकार किया गया है।

मिन अपीलांट ने अपने पति की विरासत से मिली उक्त आराजी पर ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से दिनांक 20.05.2025 को संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलांट का राजस्व अभिलेख में नाम ही दर्ज नहीं है, इस पर अपीलांट ने जानकारी करवाकर दिनांक 22.05.2025 को अपने पति की विरासत के इंतकाल की नकल प्राप्त की और अपने वकील साहब से संपर्क किया तो वकील साहब ने अपीलांट के पुत्र महेन्द्र कुमार मीना के विरासत की इंतकाल भी लाकर देने के लिए कहा, जिस पर महेन्द्र कुमार मीणा के इंतकाल विरासत की नकल प्राप्त कर वकील साहब को दी तथा वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक 22.05.2025 से यह अपील बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

इंतकाल अंतर्गत आराजीयात मिन अपीलांट के पति स्व० श्री धनसीराम मीणा उर्फ घनश्याम की कब्जे काश्त खातेदारी की थी, जिसके विधिक अपीलांट के अलावा उसका पुत्र महेन्द्र कुमार मीणा भी था और कानूनन दोनों ही विधिक वारिसान के नाम इंतकाल विरासत दर्ज मंजूर किया जाना चाहिये था किन्तु अपीलांट का नाम इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया और गलत प्रकार से तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना विधिक वारिसान की कोई जांच पड़ताल किये व अपीलांट को बगैर तलब किये तन्हा महेन्द्र कुमार मीणा के नाम इंतकाल विरासत दर्ज कर दिया, जिसे बिना जांच पडताल के ही तहसीलदार रैणी ने स्वीकार कर लिया और इसके आधार पर ही महेन्द्र कुमार मीना के स्वर्गवास के बाद उसकी विरासत का इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज मंजूर किया गया है। चूँकि प्रथम इंतकाल अपीलांट के पति की विरासत का गलत प्रकार से दर्ज मंजूर किया गया था, इसलिए स्व० महेन्द्र कुमार मीणा का इंतकाल विरासत भी गलत हो जाता है। इस प्रकार दोनों इंतकाल एक दूसरे से संबंधित है तथा दोनों इंतकाल एक ही आराजी के बाबत है, जिस कारण उक्त हरदों इंतकाल के विरूद्ध अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अपीलांटा स्व० धनीसराम मीणा उर्फ घनश्याम की विवाहिता पत्नि होने के कारण उसकी विधिक वारिस है। ताईद में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत हैं। इसलिए अपने पति की विरासत में अपीलांट का कानूनी रूप से 1/2 हिस्सा है। इसलिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपीलांट अपने पति का इंतकाल विरासत 439 दिनांक 20–09–2007 को निरस्त करवाकर अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है। चूँकि अपीलांट के इकलौते पुत्र महेन्द्र कुमार मीणा का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए 1/2 हिस्से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत है।

विवादित आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा है जो कि उसे अपने पति के स्वर्गवास के बाद विरासतन प्राप्त हुआ है तथा अपीलांट मौके इंतकाल अंतर्गत आराजी पर काबिज है तथा इसी से अपीलांट का गुजर बसर होता है। उक्त हरदो इंतकाल तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं जिससे अपील हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आलोच्य इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 बाबत विरासत स्व० घनश्याम उर्फ धनसीराम मीणा एवं इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 तहसीलदार रैणी बाबत विरासत स्व० महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम को निरस्त किया जाकर मृतक घनश्याम की विरासत में अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज कराया जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा बहैसियत वारिस मृतक महेन्द्र कुमार मीना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज मंजूर किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि यह अपील अत्यधिक विलंब लगभग 15–18 वर्ष से प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। मुख्य आपत्ति यह उठाई गई कि अपीलांट पूनी देवी, स्व. धनसीराम के जीवित रहते ही उन्हें छोड़कर शुकल्या नामक अन्य व्यक्ति के साथ नाता कर चली गई थी और उसी की बेवा के रूप में रह रही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों और प्रथागत कानूनों के अनुसार, पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ रहने वाली पत्नी (नाता प्रथा) पूर्व पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार खो देती है। धनसीराम की मृत्यु के समय महेन्द्र कुमार ही उनका एकमात्र विधिक वारिस था, जिसके नाम सही रूप से इंतकाल दर्ज हुआ। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विवादित इंतकालों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोंडेंट्स द्वारा यह गंभीर तथ्यात्मक आपत्ति उठाई गई है कि अपीलांट पूनी देवी, स्व. धनसीराम के जीवनकाल में ही उन्हें छोड़कर शुकल्या नामक व्यक्ति के साथ चली गई थी। हिन्दू विवाह अधिनियम/हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर स्वेच्छा से अन्य व्यक्ति के साथ नाता कर लेती है या पत्नी की हैसियत से रहने लगती है, तो वह पूर्व पति की संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाती है। अपीलांट द्वारा इस तथ्य का कोई पुख्ता और निर्विवाद खंडन पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि धनसीराम के निधन के समय महेन्द्र कुमार ही उनके आश्रित और साथ रहने वाले एकमात्र विधिक वारिस थे, अतः तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा इंतकाल संख्या 439 महेन्द्र कुमार के नाम दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जब इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 विधिक रूप से वैध पाया जाता है, तो महेन्द्र कुमार की मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान (पत्नी पूजा देवी व पुत्री हर्षिता – रेस्पोंडेंट 1 व 2) के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 स्वतः ही न्यायसंगत और विधिक रूप से सही सिद्ध होता है। अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई है। पारिवारिक स्थिति (अन्य व्यक्ति के साथ निवास) को छिपाते हुए केवल राजस्व रिकॉर्ड की अनभिज्ञता का बहाना बनाकर 18 वर्ष पुराने और स्थिर हो चुके अधिकारों को चुनौती देना विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में, तहसीलदार रैणी द्वारा पारित एवं स्वीकृत इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 तथा इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 पूर्णतः विधि सम्मत हैं और उनमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। फलस्वरूप, अपीलांट श्रीमती पूनी देवी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन, तथ्यहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपुर्यक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 439 दिनांक 20.09.2007 एवं इंतकाल संख्या 1209 दिनांक 18.03.2024 यथावत रखे जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)